

Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत



उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

अनिल कुमार बनाम राजेशकुमार

किस्म मुकदमा केवियट अन्तर्गत 148 ए सीपीसी 2025/67 नम्बर 1 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इण्डियन जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
18.03.2025	<p>अनिलकुमार गोसाई पुत्र श्री नन्दलाल गोसाई साकिन वार्ड नं. 04 नामदेव गुरुद्वारा के पीछे तहसील रायसिंहनगर की ओर से श्री जितेन्द्र सोनी अधिवक्ता ने केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। केवियट प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो । प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली मूल प्रकरण के साथ पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (सुभाष चन्द्र) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर </p> <p>29/9/25 कमील जर्नी दायिरा जर्नी के ज-पत्र में अतिरिक्त कमील काब्र कोई नाउ-पत्र। ज-पत्र अवरु नही हुका। प्रमण में तीन माह के काल का समय से युक्त ही ऐसी स्थिति में जर्नी के ज-पत्र पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। जर्नी के ज-पत्र शकित किया जाता ही प्रावरी केमत के शुग्द बेकर कानिह उफर दे। अतिरिक्त पुत्राया मया।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर </p>	<p>325 31/3/25</p>

